

/ / आदेश / /

रायपुर, दिनांक 03/04/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार श्री भैयालाल सोनकर, पिता- श्री बालकिशन सोनकर (अन्य पिछड़ा वर्ग) को लेब अटेंडेंट के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1800/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5200/- + ग्रेड वेतन 1800/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार

02

(के.के. चद्राकर)

कुलसन्धिच

पृ. क्र. 1367 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 03 /04/2013

प्रतिलिपि :-

1. श्री भैयालाल सोनकर, पिता- श्री बालकिशन सोनकर, ग्राम व पोस्ट - मंदरौद, तह.-कुरुद, जिला- धमतरी (छ.ग.) 493663 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

By

उप कुलसचिव (प्रशासन)

7.11.2, जम्मू के. का. पं. र. वि. वि. का
 जम्मू इस कार्य के वि. वि. के कार्ड में
 सिलेस के वि. वि. का है।

4/4/15

Shree Tiggai

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 1358/स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 03/04/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार कु. किरण भगत पिता- स्व. श्री सुखराम भगत (अनुसूचित जनजाति वर्ग) को लेब अटेंडेंट के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1800/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5200/- + ग्रेड वेतन 1800/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

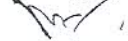
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चंद्राकर)

कुलसचिव



पृ. क्र. 1359/स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 03/04/2013

1. कु. किरण भगत, पिता- स्व. श्री सुखराम भगत, द्वारा- ज्ञान कुमार वर्मा, म.नं. 40/146, गली नं. 7, मिलन चौक, संजय नगर, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.) को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. 1368 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 03/04/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री विजय कुमार कंवर पिता- श्री रामायण सिंह कंवर (अनुसूचित जनजाति वर्ग) को लेब अटेंडेंट के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1800/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5200/- + ग्रेड वेतन 1800/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियुक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

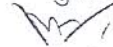
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव

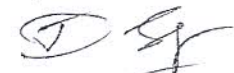


पृ. क्र. 1369/स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 03/04/2013

प्रतिलिपि :-

1. श्री विजय कुमार कंवर, पिता- श्री रामायण सिंह कंवर, एफ-1366, एवरेस्ट विहार, दर्री, कोरबा (छ.ग.) को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. 1364 /स्था./सा.प्रशा./13

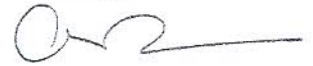
रायपुर, दिनांक 03/04/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री रामदास बंजारे पिता- स्व. श्री पुरूराम बंजारे (अनुसूचित जाति वर्ग) को लेब अटेंडेंट के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1800/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5200/- + ग्रेड वेतन 1800/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

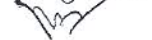
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चंद्राकर)

कुलसचिव



पृ. क्र. 1365 /स्था./सा.प्रशा./13

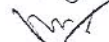
रायपुर, दिनांक 03/04/2013

प्रतिलिपि :-

1. श्री रामदास बंजारे, पिता- स्व. श्री पुरूराम बंजारे, ग्राम- कटिया, पो.आ.-खौली, व्हाया-खरोरा, थाना-मंदिर हसौद, जिला- रायपुर (छ.ग.) 493225 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. 1360 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13/04/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री दुर्गेश कुमार पैकरा पिता- श्री अश्वनी कुमार पैकरा (अनुसूचित जनजाति वर्ग) को लेब अटेंडेंट के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1800/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5200/- + ग्रेड वेतन 1800/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

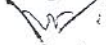
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव



पृ. क्र. 1361 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 03/04/2013

प्रतिलिपि :-

1. श्री दुर्गेश कुमार पैकरा, पिता- श्री अश्वनी कुमार पैकरा, ग्राम-कुसमी, पो.-मुसरा, तह.- डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगाँव (छ.ग.) 491445 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. 1362/स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 03/04/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री अंजनी कुमार टेंगवर पिता- स्व. श्री रामायण प्रसाद (अनुसूचित जाति वर्ग) को लेब अटेंडेंट के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1800/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5200/- + ग्रेड वेतन 1800/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

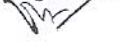
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव

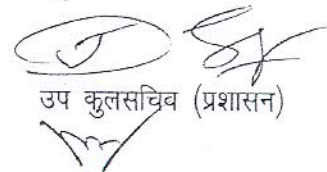


पृ. क्र. 1363/स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 03/04/2013

प्रतिलिपि :-

1. श्री अंजनी कुमार टेंगवर, पिता- श्री रामायण प्रसाद, ग्राम- मटियारी, पोस्ट- जाँजी, थाना- सीपत, तह. व जिला- बिलासपुर (छ.ग.) 495550 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)